



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02082025-265177
CG-DL-W-02082025-265177

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जुलाई 20—जुलाई 26, 2025, शनिवार/आषाढ 29—श्रावण 4, 1947
No. 25] NEW DELHI, JULY 20—JULY 26, 2025, SATURDAY/ASHADHA 29—SHRAVANA 4, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन निगरानी इकाई में संयुक्त उप निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक, के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, निगरानी इकाई, बाह्य-काडर पद भर्ती नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू होना – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता-** कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत में शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त उप निदेशक।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12) ₹ 78800- ₹ 209200/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी अथवा नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो, -	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹67700-208700/-) में; या समतुल्य नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: - i) अनिवार्य:- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में बीई या बीटेक या मास्टर डिग्री; (ख) सूचना सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या लोक प्रशासन या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्वेषण या फॉरेंसिक या सूचना सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण में दस वर्ष का अनुभव। ii) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एम.एस.सी. (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या लोक प्रशासन या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप निदेशक	04* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹ 67700 – ₹ 208700/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो,- (क) i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100 – ₹177500/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक या विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) सूचना सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या लोक प्रशासन या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्वेषण या फोरेंसिक या सूचना सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक निदेशक	09* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (₹47600 - ₹151100/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जो - (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹ 44900 - ₹ 142400/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.ई. या बी.टेक या विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) सूचना सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या लोक प्रशासन या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्वेषण या फोरेंसिक या सूचना सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. ए-12018/01/2024-एडी.-V]

विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st July, 2025

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Deputy Director, Deputy Director and Assistant Director, Monitoring Unit under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.** -

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Monitoring Unit, Ex-cadre posts Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Deputy Director.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (₹78800- ₹209200/-) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or University or recognised research institutions, - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto in level-11 (₹67700 – ₹208700/-) in the pay matrix or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely: - (i) Essential: - (A) B.E. or B. Tech or Master's Degree in Science from a recognised University or institute; (B) ten years' experience in Information Security or e-Governance or public policy or public administration or Information and Communication Technology or Investigation or Forensics or Training in the field of Information Security or Research and Development or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. (ii) Desirable: Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) or Master in Business Administration or Post Graduate Diploma in Public Administration or Electronics and Telecommunication Engineering or Computer Science and Engineering or Computer Science or Computer Technology or Information Technology from a recognised University or institute. Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Director.	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (₹67700–₹208700/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory Organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutions, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto in level-10 (₹56100 – ₹177500/-) in the pay matrix or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely: - (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or Master's Degree in Science from a recognised University or institute; (ii) five years' experience in Information Security or e-Governance or public policy or public administration or Information and Communication Technology or Investigation or Forensics or Training in the field of Information Security or Research and Development or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Director.	09* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-ministerial.	Level-8 (₹47600–₹151100/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).		
(11)				(12)	(13)

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutions, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment thereto in level-7 (₹44900 – ₹142400/-) in the pay matrix or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) B.E. or B. Tech or Master's Degree in Science from a recognised University or institute; (ii) three years' experience in Information Security or e-Governance or public policy or public administration or Information and Communication Technology or Investigation or Forensics or Training in the field of Information Security or Research and Development or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
---	-----------------	---

[F. No. A-12018/01/2024-Ad.V]

VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, शल्य शाला सहायक, शल्य शाला तकनीशियन और वरिष्ठ थियेटर तकनीशियन, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहाँ तक इसका संबंध ज्येष्ठ थियेटर तकनीशियन के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ शल्य शाला तकनीशियन समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।**
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ शल्य शाला तकनीशियन।	10* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)।	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	शल्य शाला तकनीशियन से प्रोन्नति जिसने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में स्तर-4 की श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी का ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हों, वहीं उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा परंतु यह तब जब

		कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 3. उप-निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के संबंधित उप-निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/03/2024-एमएच II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 9th July, 2025

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Operation Theatre Technician (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post of Senior Operation Theatre Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Operation Theatre Technician in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Senior Operation Theatre Technician, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Operation Theatre Technician	10* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Operation Theatre Technician in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade rendered after appointment. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental promotion Committee (for considering promotion): (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Chairperson; (2) Head of the Concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; (3) Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; (4) Deputy Director (concerned) in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/03/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद्, समूह क, भर्ती नियम, 2021 को, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद्।	03* (2025) **कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)।	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में ऐसे भौतिक चिकित्साविद् जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के सुसंगत क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा यथाप्रायोजित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: 1. अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य -अध्यक्ष ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

टिप्पण 1: ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद् के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा अवधि ऐसे व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष बनी रहेगी, जो अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद (भौतिक चिकित्साविद्) धारण किए हुए हैं। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य; 3. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल -सदस्य; 4. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल -सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	
---	---	--

[फा. सं. ए.11018/29/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 2025

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Physiotherapist in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications, level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Physiotherapist	3* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees. Note: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion.	Promotion: Physiotherapist in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade, and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field of duties and responsibilities of the post, as prescribed by the Ministry. Note 1: The eligibility service for promotion to the post of Senior Physiotherapist shall continue to be eight years for person holding the feeder post of physiotherapist on regular basis on the date of notification of these rules. Note 2: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission -Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare -Member; 3. Additional Medical Superintendent (Concerned), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member ; 4. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare -Chairman; 2. Additional Medical Superintendent (Concerned), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.11018/29/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, में भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भेषजज्ञ	07* (2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200- 92300/- रुपये)। (प्रविष्टि श्रेणी में सेवा के दो वर्ष पूरा होने पर, सभी पदधारियों को अगली उच्चतर श्रेणी में अकृतियक श्रेणी प्रदान की जाएगी।)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	अनिवार्य: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 12वीं पास की हो; (ख) (i) भारतीय भेषज परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से दो वर्षों का भेषज में डिप्लोमा ; या (ii) भारतीय भेषज परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से चार वर्षों का भेषज में स्नातक ; या (iii) भारतीय भेषज परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से छः वर्षों का फार्मा डी कोर्स; तथा	लागू नहीं होता।

मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित की गई है।	(ग) राज्य भेषज परिषद से रजिस्ट्रीकरण। टिप्पण 1: अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
---	--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष। (परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम-से-कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।)	सीधी भर्ती। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या इस से अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी। : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 ₹0) में पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल -अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, कलावती सरन बाल अस्पताल -सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. ए-11018/20/2024-एमएच.II]

अभिषेक पाण्डेय, अवसर सचिव

New Delhi, the 10th July, 2025

G.S.R. 110.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist.	07* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix. (on completion of two	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam,

			years of service in the entry grade, all the incumbents shall be granted non-functional to the next higher grade).		Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.
Educational and other qualification required for direct recruits.				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)				(8)	(9)
Essential: (A) 12th class pass with science subjects from a recognised Board; (B) (i) two years' Diploma in Pharmacy course with five hundred hours practical training from a university or institute approved by the Pharmacy Council of India; or (ii) four years' Bachelor's Degree in Pharmacy Course from a recognised university or institute approved by the Pharmacy Council of India; or (iii) six years' Pharma D course from a recognised university or institute approved by the Pharmacy Council of India; and (C) Registration with State Pharmacy Council. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of, the competent authority or the Staff Selection Commission of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.				Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks for successful completion of probation as prescribed by the competent authority.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years' regular service in the posts in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix, and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital – Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; 3. Deputy Director (concerned), Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/20/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, मद्रास (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति, -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी।	01 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रशासन, स्थापना और लेखा में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के सूत्र-7 (44900-142400 रुपए) या समतुल्य में उन पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हों; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में लेखा प्रशासन या स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र	(1) उप महानिदेशक (पी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक (ईपीआई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3) निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (4) उप निदेशक (ईपीआई) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (पी) स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक (ईपीआई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3) निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (4) उप निदेशक (ईपीआई) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	
--	--	---	---	--

			नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--	---	--

[फा. सं. ए- 12018/05/2022-ईपीआई]

राजेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th July, 2025

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai in the Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Administrative Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Administrative Officer.	1 (2025) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.

Whether selection post or non- selection.	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Office Superintendent in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with six years of regular service in the grade; and having successfully completed two to four weeks training in administration, establishment and accounts. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government, or Union territory Administrations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay level-7

			(Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department and (b)possessing the following qualification and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii)two years' experience in account or administration or establishment work under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment under these rules in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years from the date of receipt of applications.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Director General (P), Directorate General of Health Services — Chairperson; (2) Director, EPI, Directorate General of Health Services —Member; (3) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai —Member; (4) Deputy Director (EPI) Directorate General of Health Services —Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) Consisting of:- (1) Deputy Director General (P), Directorate General of Health Services —Chairperson;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(2) Director, EPI Directorate General of Health Services — Member;	
(3) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai — Member;	
(4) Deputy Director (EPI) Directorate General of Health Services — Member.	

[F. No. A-12018/05/2022-EPI]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) और कनिष्ठ सहायक (प्रशासन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2023 को, जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) के पद से है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, अधिक्रमण करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ सहायक (प्रशासन)	*14 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)

चयन या अचयन पद ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिलनीय है। टिप्पण 2: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/अस्पताल से स्नातक डिग्री धारक।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भारी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की शुरुआती प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा तथा दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति द्वारा: ऐसे कनिष्ठ सहायक (प्रशासन), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपये) की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्च पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारी से संबंधित विषय या कार्य के क्षेत्र में सफलतापूर्वक दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

		अथवा (ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 3 (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियमित नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; अथवा (iii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 (19900-63200 रुपये) या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियमित नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/अस्पताल से स्नातक डिग्री धारक हो: टिप्पण 1 : पोषक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य 3. भारत के सहायक औषध नियंत्रक, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य 3. भारत के सहायक औषध नियंत्रक, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/01/2023-डी.आर.एस.]

विवेक नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 2025

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Senior Assistant (Administration) and Junior Assistant (Administration), Group ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2023, in so far as they relate to the post of Senior Assistant (Administration), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Assistant (Administration) in the Central Drugs Standard Control Organisation, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Senior Assistant (Administration), Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Assistant (Administration).	*14 (2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.	Between 18 years and 27 years of age. Note 1: The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Possessing a bachelor's degree from a recognised university or institute.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotions or by deputation/absorption, grades from which promotions or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) fifty per cent. by direct recruitment; (ii) fifty per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.	Promotion: Junior Assistant (Administration) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in subject or area of work relevant to duties and responsibility of the higher post as prescribed by the competent authority from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or the State Government or the Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised university or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 in the pay-matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or Department; or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director (Administration), Central Drugs Standard Control Organisation - Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Central Drugs Standard Control Organisation - Member; 3. Assistant Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director (Administration), Central Drugs Standard Control	Not applicable.

	(iii) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay-matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing a bachelor's degree from a recognised university or institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Organisation- Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Central Drugs Standard Control Organisation – Member; 3. Assistant Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	
--	--	---	--

[F. No. A-12018/01/2023-DRS]

VIVEK NARAYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 113.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन [उप औषधि नियंत्रक (भारत)], भर्ती नियम 2020 को उन बातों के सिवाय आधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप औषधि नियंत्रक (भारत) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, उप औषधि नियंत्रक (भारत), (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**– उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**– वह व्यक्ति, –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उप औषधि नियंत्रक (भारत)।	39 * (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)।

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपये) के ऐसे सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और विभाग द्वारा विहित क्रमिक क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक

सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, -

(i) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से नैदानिक औषध विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या चिकित्सा में स्नातक डिग्री; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके अधीन नियमों से संबंधित मामलों से निपटने में 12 साल का अनुभव या औषधियों के मानकीकरण या औषधियों के मानकों के नियंत्रण या औषधियों के निर्माण या परीक्षण से निपटने में 12 साल का अनुभव।

या

(ii) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या नैदानिक औषध विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके अधीन नियमों से संबंधित मामलों से निपटने में 10 साल का अनुभव या औषधियों के मानकीकरण या औषधियों के मानकों के नियंत्रण या औषधियों के निर्माण या परीक्षण से निपटने में 10 साल का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष;
2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	-सदस्य ;
3. औषधि नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	-सदस्य;
4. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	-सदस्य।

[फा. सं. ए-12018/2/2017-डी.आर.एस]

विवेक नारायण, अवसर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2025

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation [Deputy Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Deputy Drugs Controller (India), (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Drugs Controller (India).	39* (2025) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group – 'A' Gazetted; Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200/-).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Selection	Not Applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation, if	Method of recruitment whether by direct recruitment or by	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which
-------------------------	---	---

any.	promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not Applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract)	Promotion: Assistant Drugs Controller (India) in level 11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade; and having successfully completed minimum two weeks training in the respective field as prescribed by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised Universities or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Graduate Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology from a recognised University in India; with twelve years' experience in dealing with matters related to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and rules made thereunder or twelve years' experience in dealing with drugs standardisation or control of drugs standards or in the manufacture or testing of drugs; Or (ii) Post Graduate Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Clinical Pharmacology or Microbiology from a recognized University in India; with ten years' experience in dealing with matters related to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23

		of 1940) and rules thereunder or ten years' experience in dealing with drugs standardisation or control of drugs standards or in the manufacture or testing of drugs. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on Promotion. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (Including short-term contract) including period of deputation (Including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare —Member; 3. Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation —Member; 4. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services —Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/2/2017-DRS]

VIVEK NARAYAN, Under Secy.